

5263
निगं 5223/2018/रीवा/भू २०

सभी सदस्य राजस्व मंडल मं० ग्वा लियर सर्किट कोर्ट रीवा



श्री केशव प्रसाद
तलहा पदा / 29-8-18
mu

1- रामनिवास पटेल
2- राममाधौ पटेल
3- रामदिनेश पटेल
तीनों के पिता श्री रामयत्न पटेल निवासी ग्राम नंदनपुर तहसील
मऊगंज जिला रीवा मं० ग्वा निगरानीकर्ता ग्वा

बनाम

- 1- पुष्पा देवी पत्नी वंशबहादुर
 - 2- श्री मती ऊमा देवी पत्नी रमेश कुमार पटेल
 - 3- साधूलाल तनय प्रमून प्रसाद
 - 4- छोटेलाल तनय प्रमून प्रसाद
 - 5- इन्द्रजीत तनय इन्द्रभान पटेल
- सभी निवासी ग्राम नन्दनपुर तहसील मऊगंज जिला रीवा मं० ग्वा
..... गैर निगरानीकर्ता ग्वा

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा
संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 21 निगरानी/ 05-06
मे पारित आदेश दिनांक 6.7.2018 निगरानी
अन्तर्गत धारा 50 मं० ग्वा भू राजस्व संहिता वर्ष
1959 ई०

मान्यवर,
निगरानी के आधार निम्नलिखित है

1- यह कि अदालत मातहत का आदेश खिलाफ विधि प्रक्रिया एवं सहायत
के होने से का विल निरस्तगी है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... निरा. 5263/2018/रीवा जिला-..... रीवा

..... शमनवास पटेल विरुद्ध..... पुवपा देवी अग्र

(1)	(2)	(3)
16-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>वीरेंद्र सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक..... 21/निगरानी/2005-06 में पारित आदेश दिनांक..... 06.07.18 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक..... 29.08.18 प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात् प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">..... सदस्य</p>	

के होने से कायिल निस्तगी है ।

.....